

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिसंबर २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- (i) माननीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा एक आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया है जिसमें इस विषय पर सीआईसी, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का सार होगा।
- (ii) व्यापक सार्वजनिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) कार्यतंत्र के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर एक एकीकृत ऑनलाइन सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह एमओओसी कार्यतंत्र, प्रशिक्षण संसाधनों के कोष तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक एकल केन्द्र उपलब्ध करवाने के लिए अनेक सरकारी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाने का एक मंच होगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध होगा तथा इसे अपनी सुविधा के अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर संचालित किया जाएगा तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणाम के आधार पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को शीघ्र ही बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाएगा।
- (iii) सीएसएस और सीएसएसएस संवर्गों के अधिकारियों की पदोन्नति। केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के भिन्न-भिन्न ग्रेडों अर्थात् अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव और उप सचिव में 1756 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए , जो प्रशासनिक कारणों से पिछले दो वर्षों से लंबित पड़े थे। इसी प्रकार, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के 2235 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए । संक्षेप में, सीएसएस और सीएसएसएस के 3911 अधिकारियों के संबंध में पदोन्नति आदेश जारी किए गए ।
- (iv) मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 13 मामलों में (01 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और 12 प्रकार्यात्मक निदेशकों) नियुक्तियों को अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की अठारह (18) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारियों की दो (02) नियुक्तियों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, समय विस्तार के छह (06) प्रस्तावों और नाम में परिवर्तन (रिडेजिग्नेशन) के दो (02) प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिव/मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव देकर 7 अधिकारियों का प्रतिधारण किया गया है।

- (v) दिसंबर माह के दौरान आईएसटीएम में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । इनमें 01 सीएसएस-सीटीपी (स्तर-डी) एवं 01 सीएसएसएस-सीटीपी (स्तर-III) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में भागीदारों की संख्या 395 थी।
- (vi) कर्मचारी चयन आयोग ने, आयोग की कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ करार को अंतिम रूप देते हुए निष्पादित किया । आयोग का प्रस्ताव है कि लगभग 69.9 लाख उम्मीदवारों के लिए इस नए सेवा प्रदाता के माध्यम से पांच कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन किया जाए।
- (vii) सीसीएससीएसबी ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पहली बार एथेलिटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो दिनांक 02.12.2018 को विनय मार्ग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में संपन्न हुई।
- (viii) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श हेतु आरआरएफएमएस मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया गया है ताकि आरआरएफएमएस पोर्टल के पूर्ण स्वतः स्वचालन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और मैनुअल रूप से फाइलों की प्रक्रिया के चलन को पूरी तरह बंद किया जा सके। इसका परीक्षण दिनांक 03.12.2018 से किया जा रहा है।
- (ix) सीएसई-2017 के आधार पर भर्ती किए गए 180 आईएस अधिकारियों को नई संवर्ग आबंटन नीति के अनुसार 03.12.2018 को संवर्ग आवंटित किये गए ।
- (x) हरियाणा संवर्ग के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदसंख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2018 को 19.12.2018 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 11031/08/2015-एआईएस-II (क) के तहत अधिसूचित किया गया ।
- (xi) हरियाणा संवर्ग के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2018 को 19.12.2018 की राजपत्रित अधिसूचना सं. 11031/08/2015-एआईएस-II (ख) के तहत अधिसूचित किया गया ।
- (xii) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में श्री भारत भूषण व्यास की नियुक्ति को दिनांक 24.12.2018 की अधिसूचना सं. 39019/05/2018-स्था. (ख) के तहत अधिसूचित किया गया ।
- (xiii) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के संशोधन को दिनांक 27.12.2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 39023/01/2018 स्था. (ख) के तहत अधिसूचित किया गया ।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न विषयों पर इस विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं:

- (क) एलटीसी पर हवाई यात्रा के टिकिट बुक करने संबंधी प्रक्रिया को दिनांक 10.12.2018 के का.जा. सं. 31011/2/2018-स्था. क-IV के तहत जारी किया गया ।
- (ख) सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अनुसार अचल संपत्ति के संबंध में मरम्मत अथवा लघु निर्माण कार्य पर किए गए व्यय और नियमों के अधीन सूचना/अनुमति हेतु मानक प्रपत्रों को दिनांक 17.12.2018 के का.जा. सं. 11013/2/2018-स्था.क-III के तहत जारी किया गया ।
- (ग) सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 28.12.2018 का का.जा. सं. 39011/08/2016-स्था. (ख) जारी किया गया।